

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04/04/2023

क्रमांक 699/1737/2022/10-1 :: विभाग के आदेश क्रमांक 177/173/2022/10-1, दिनांक 19.01.2023 के क्रमांक 24 पर अंकित श्रीमती प्रीति काकोडिया, वनक्षेत्रपाल को म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) से सेवार्ये वापिस लेते हुये कार्य आयोजना इकाई शहडोल में पदस्थ किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद्वारा उक्त पदस्थापना में संशोधन कर श्रीमती प्रीति काकोडिया, वनक्षेत्रपाल को म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) से सेवार्ये वापिस लेते हुये कार्य आयोजना इकाई नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Apecf (AD)

R
6/4/23

4/4/23
(अशोक कुमार)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 04/04/2023

प्रमुख (वन बल प्रमुख)

म.प्र. शासन
6/5/23

क्रमांक: 708/1737/2022/10-1,
प्रतिलिपि:-

- (1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 - (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
 - (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन-भू-अभिलेख)।
 - (4) प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
 - (5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), भोपाल।
 - (6) स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय।
 - (7) विशेष सहायक, माननीय वन मंत्रीजी, भोपाल।
 - (8) संबंधित मुख्य वन संरक्षक म0 प्र0।
 - (9) संबंधित वनमण्डलाधिकारीम0 प्र0।
 - (10) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11) भोपाल।
 - (11) गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



Order-2023 H.S. Ahirwar

APCCF (ADMN-II)

06 APR 2023

4/4/23
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म०प्र०,भोपाल ।

पृ०क्रमांक/प्रशा- ११/स्था.३/व.क्षे.कक्ष/२५३३

भोपाल,दिनांक २६/०४/२०२३

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध संचालक,म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रद्योगिकी),म०प्र० की ओर बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
3. मुख्य वन संरक्षक, नर्मदापुरम (होशगाबाद)/शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना होशगाबाद/शहडोल म०प्र० ।
5. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.द्वारा संबंधित वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से
6. वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रण कर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है वनक्षेत्रपालो को नियमानुसार नई पदस्थापना हेतु भारमुक्त करने की कार्रवाही करें ।

(हरिशंकर मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-११)

मध्यप्रदेश भोपाल

25/4/23